हेमंत सत्यदेव कटारे
उप नेता प्रतिपक्ष
(म.प्र. विधानसभा)
विधायक
(अटेर, जिला भिंड, म.प्र.)

HEMANT SATYADEV KATARE
DEPUTY LEADER OF OPPOSITION
(M.P. VIDHANSABHA)
MEMBER OF LEGISLATIVE ASSEMBLY
(ATER-DISTRICT BHIND, MP)

दिनांक 10.04.2025

पत्र क्र.......85/2025

प्रति,

माननीय प्रधान मंत्रीजी,
भारत गणराज्य,
<u>नई दिल्ली।</u>

महोदय,

प्रसन्नता है कि आप दिनांक 11 अप्रैल, 2025 को प्रदेश के पवित्र धार्मिक स्थल श्री आनंदपुर धाम में पधार रहे हैं, इस हेतु आपका बहुत–बहुत स्वागत व अभिनंदन।

महोदय, मैं आपको श्री भूपेन्द्र सिंह, पूर्व परिवहन एवं नगरीय विकास मंत्री, वर्तमान विधायक एवं प्रदेश भाजपा पदाधिकारी द्वारा लोक सेवक पद का दुरूपयोग कर दबाव से नियमविरूद्व नियुक्तियां कराने एवं गरीब दलित व्यक्तियों पर अत्याचार करने के संबंध में अवगत कराना चाह रहा हूॅ।

दिसम्बर,2024 में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त द्वारा पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर की गई छापेमारी में 52 किलो सोना, क्विंटलों चांदी सहित 11 करोड रूपये की नगदी की जप्ती हुई। लोकायुक्त,म0प्र0 में अप.क्र.196/2024 अपराध पंजीबद्व है साथ ही आयकर एवं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जॉच प्रचलित है। इस प्रकरण के आरोपी सौरभ शर्मा की परिवहन आरक्षक पद पर नियमविरूद्व नियुक्ति तत्कालीन परिवहन मंत्री रहे श्री भूपेन्द्र सिंह की अनुशंसा व दबाव में की गई थी। श्री सिंह ने आरोपी परिवहन आरक्षक के माध्यम से ही परिवहन विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना, टोल वैरियर पर अवैध वसूली के कारोबार को अंजाम देकर अकूत काल धन एकत्रित किया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा मान. **लोकायुक्त महोदय से दिनांक 18 फरवरी,2025 को भेंटकर सप्रमाण शिकायत प्रस्तुत कर श्री भूपेन्द्र सिंह को सहआरोपी बनाने की मांग की** गई है।

श्री भूपेन्द्र सिंह, तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा नोटशीट के माध्यम से दिये निर्देश के फलस्वरूप ही डॉ0 अनुज शर्मा जो कि **एक पशु चिकित्सक हैं को नियमविरूद्व तरीके से नगर पालिक निगम ग्वालियर में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति** करायी गयी जबकि नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी का पद सीधी भर्ती का है जिस पर केवल एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी व्यक्ति की ही नियुक्ति की जा सकती है। उक्त प्रकरण में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने पर शासन की ओर से मान. न्यायालय को अवगत कराया कि तत्कालीन मा.श्री भूपेन्द्र सिंह मंत्री जी ने लिखित व मौखिक रूप से निर्देश थे** व अनैतिक दबाव बनाकर पशु चिकित्सक को नियमविरूद्व तरीके स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति दी गई थी।

श्री भूपेन्द्र सिंह, विधायक एवं पूर्व मंत्री के संरक्षण में दबंग लोगों द्वारा सागर जिले के थाना खुरई अंतर्गत ग्राम बडौदिया नौंनागिर निवासी **दलित महिला अंजना अहिरवार सहित उसके परिवार के तीन लोगों की हत्या करने जैसा जघन्य हत्याकाण्ड** हुआ है, जिसमें पूरा प्रशासन राजनैतिक दबाव में मौन है) प्रकरण में मान. सर्वोच्च न्यायालय एवं सी.बी.आई. द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

इस प्रकार प्रदेश में श्री भूपेन्द्र सिंह, विधायक/पूर्व मंत्री व भाजपा पदाधिकारी के दबाव में नियमविरूद्व नियुक्तियां की जा रही हैं साथ ही श्री सिंह द्वारा बलात गरीब किसानों की एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से **पूरे देश में सरकार की बदनामी हुई है।** महोदय यदि आप मुझे मिलने का समय प्रदान करें तो मैं श्री भूपेन्द्र सिंह से संबंधित कई प्रकरणों की जानकारी सप्रमाण दे सकूॅगा।

अतः अनुरोध है कि मुझे भेंट हेतु समय प्रदान करने की कृपा करें साथ ही श्री भूपेन्द्र सिंह, विधायक एवं पूर्व मंत्री व भाजपा पदाधिकारी के विरूद्व नियमानुसार जॉच कराकर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय

(हेमन्त सत्यदेव कटारे)

Office Address: Katare Nivas, Agrawal Colony, Ater Road, Bhind (M.P)
C-118, Bhartiniketan, Govindpura, Bhopal (M.P)| **Gmail:** hemant.katare@mpvidhansabha.nic.in